निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 90 / 12 द्वारा प्रा. पत्र
दायरा दिनांक :– 04.07.2012
निर्णय दिनांक :– 9.5.17

उनवान

जसोदाबाई पुत्री हीरा जाति भील निवासी अजनावर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान।

बनाम

1. लटूर पुत्र कालू जाति भील
2. छोटेलाल पुत्र कालू जाति भील निवासीगण अजनावर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
3. श्री शाखा एजेन्ट सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबड़ौद जिला बारां
4. राज्य सरकार द्वारा श्री तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां
5. राज्य सरकार श्री उप पंजीयक अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां राज.।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 9.5.17

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री दीनदयाल वादी
2. श्री कृष्ण मुरारी पारिक प्रतिवादी
3. श्री अशोक पारिक

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 ,89, 91, 92 ए, 188 आर.टी.एक्ट प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया है, जिसमें कामयाबी की पूरी–पूरी आशा है। ग्राम कांकडदा पटवार हल्का अजनावर तहसील छीपाबड़ौद मे खाता संख्या 88 / 84 मे भूमि खसरा नंबर 147 / 25 रकबा 8 बीघा प्रार्थीया जसोदाबाई कौम भील सा. अंजनावर दर्ज है, ग्यारसीबाई बेवा का 4 साल हुये मृत्यु हो गई है। उक्त भूमियात से लगवा ग्राम कांकडदा पटवार हल्का अजनावर तहसील छीपाबड़ौद मे खाता संख्या 119 / 117 की खसरा नंबर 146 / 25 रकबा 12 बीघा लटूर, छोटूलाल अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के नाम खाता दर्ज है। यह भूमि 40–45 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को एलोट हुई है। भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 को अलोटमेन्ट के समय से आज तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा नही होकर प्रार्थीया का लगभग 4 बीघा पर निरन्तर बिना किसी रूकावट के अलोटमेन्ट के समय से प्रार्थीया के पिता हीरा के साथ–साथ व

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

पिता हीरा की मृत्यु के बाद प्रार्थीया ही काबिज काश्त चली आ रही है, गत वर्ष सोयाबीन प्रार्थीया द्वारा बोई थी, जो प्रार्थीया द्वारा काटी गई है, इस साल भी भूमि हांक जोतकर तैयार कर ली है, और शीघ्र ही फसल की बुआई शुरु हो जावेगी। प्रार्थीया के खाते की भूमि जो मद् नम्बर – 2 मे दर्ज है से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 146/25 लगी हुई है, जिसमें प्रार्थीया का 4 बीघा पर निरन्तर कब्जा काश्त 40–45 साल से चला आ रहा है, कब्जे के आधार पर प्रार्थीया अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी हो गई है, अतः बहैसियत खातेदार कृषक घोषित कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

दिनांक 21.06.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमियात से बेदखल करने व भूमि विक्रय की धोंस दी और गाली गलौच पर आमादा हुये अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि प्रार्थीया को प्रार्थीया की भूमि व कब्जे वाली भूमि खसरा नम्बर 146/25 मे से 5 बीघा से बेदखल नही करे, प्रार्थीया को कब्जा काश्त मे रूकावट नही करें, शांतिपूर्ण काश्त करने देवे एवं अप्रार्थी नम्बर 4 भू स्वामी है, यथावत खाता रहने देवे परिवर्तन नही करे, तथा अप्रार्थी नंबर 5 उप पंजीयन अधिकारी है, भूमि नम्बर 146/25 का अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 द्वारा किसी भी प्रकार का तहरीरी दस्तावेज प्रतिवादी नम्बर 5 के समक्ष पंजीयन नही करावे अप्रार्थी नम्बर 5 भी पंजीयन नही करें। यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पांबद नही किये तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी कब्जा चले जाने की संभावना है, जिसकी पूर्ति अर्थ से नही हो सकेगी और लम्बी अवधि के लिये मुकदमेबाजी मे उलझना पड जावेगा। प्रार्थनापत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 21.06.2012 को उक्त कारण से पैदा हुआ। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस है, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे विद्यमान है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हुई तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी तथा प्रार्थीया को अनेकोनेक मुकदमेबाजी मे उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति उठानी पडेगी। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ, जिसका जवाबुल जवाब प्रार्थीया द्वारा पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 88, नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 119 पेश की गई। प्रार्थीया ने स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि ग्राम कांकडदा मे खसरा नंबर 147/25 रकबा 8 बीघा प्रार्थीया जसोदा बाई के नाम आंवटन हुई थी। इसी के लगवा खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा भूमि हमारे लगवा जब से हमे खसरा नंबर 147/25 भूमि आंवटन हुयी तभी से खसरा नंबर 146/25 मे कुछ भूमि 4 बीघा पर प्रार्थीया व शेष 8 बीघा पर मन्ना व बंशी काबिज है, जो भूमि खसरा नंबर 146/25 जिसके दावेदार बन रहे है। यह भूमि ओंकार पुत्र कालू के नाम आंवटन हुयी थी। उसके मरने के बाद ओंकार के भाई लटूर व छोटू ने खुद वारिस बताकर अपने नाम दर्ज करा ली, जबकि इसकी लडकी नन्दू मौजूद है। इसकी जमाबन्दी को सम्वत् 2035–38 फोटो प्रति पेश की, जिसमे खातेदार ओंकार आत्मज कालू भील लिखा हुआ है। ओंकार का फोती इन्तकाल नंबर 152 जो बताया उसकी छाया प्रति पेश कर रहा हूँ। ओंकार की जमाबन्दी प्रस्तुत है। खसरा नंबर 161/26 रकबा 14

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 88 के अनुसार यशोदा पुत्री हीरा, ग्यारसी बाई बेवा हीरा कोम भील के खसरा नंबर 147/25 रकबा 8 बीघा खाते दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2067–71, खाता संख्या 119 में लटूरलाल, छोटेलाल आत्मज कालू कोम भील के खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा खाते दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत नकल सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी धारा 89 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 127/10 आदेश दिनांक 31.01.2011 के अनुसार खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा की पैमाईश कर पत्थर गढ़ी तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा ग्रामवासियान की मौजूदगी में की गई। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रार्थीया द्वारा खातेदारी एवं कब्जे बाबत् ऐसा कोई सबूत व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे प्रार्थीया का कब्जा काश्त व खातेदारी साबित हो सके। प्रार्थीया कब्जा व खातेदारी साबित करने में विफल रही है। प्रथम दृष्टया प्रार्थना–पत्र व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना, एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि वाके ग्राम कांकडदा, के खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner